



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jodajodhpur-raj@gov.in वेब-साईट joda.rajasthan.gov.in Phone No. 0291-2612086/263635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2024/350

दिनांक- 02/02/2024

—:कार्यवाही विवरण:—

विषय:— भवन मानचित्र समिति जोन-4 (ले-आउट प्लान) की 03/2024 की बैठक दिनांक 31.01.2024 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या 01 :-

विषय:— भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की जोन-4 की 39/2023 वीं बैठक दिनांक 22.12.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय:— समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 02 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
31.01.2024	जोन-4	मोकलावास	274/1	20315.18 वर्गमीटर	होटल (पयर्टन इकाई)
आवेदक	आजाद एसोसियेटस एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर श्रीमती आजाद कवर पत्नी श्री भीमसिंह				
विषय:—	राजस्व ग्राम मोकलावास के खसरा संख्या 274/1 रकबा 20315.18 वर्गमीटर में होटल (पयर्टन इकाई) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:—	<p>समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:—</p> <ol style="list-style-type: none">निदेशक आयोजना अनुसार भविष्य में होने वाले भावी विकास से बढ़ने वाले यातायात दबाव (Traffic Pressure) को सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सके एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (Overall development/inclusive transport system) के दृष्टिगत आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 24 मीटर निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया। निदेशक आयोजना के उक्त सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया।उक्त निर्धारित 24 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में नि:शुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावे। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में नि:शुल्क समर्पित करवायी जावे। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।				

—




3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.04.2018 को जारी आदेश अनुसार 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि बाबत नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 03 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
31.01.2024	जोन-4	झंवर	2251 / 2023	14568 वर्गमीटर	कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड
आवेदक	मैसर्स ऋषिराज नुट्टा फुड्स प्रा.लि. जरिये श्री पंकज बाहेती पुत्र श्री जुगल किशोर				
विषय:-	राजस्व ग्राम झंवर के खसरा संख्या 2251 / 2023 रकबा 14568 वर्गमीटर में कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक आयोजना अनुसार भविष्य में होने वाले भावी विकास से बढ़ने वाले यातायात दबाव (Traffic Pressure) को सुगमता से प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सके एवम् क्षेत्र का समग्र विकास/समावेशी परिवहन प्रणाली (Overall development/inclusive transport system) के दृष्टिगत आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 18 मीटर निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया। निदेशक आयोजना के उक्त सुझाव को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया। 2. उक्त निर्धारित 18 मीटर मार्गाधिकार के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में नि:शुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का 				

निस्तारण किया जावे। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। आपत्ति का निस्तारण नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।



3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. प्रस्तावित भूखण्ड हेतु जिला उद्योग केन्द्र/संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज जोन स्तर पर प्राप्त किया जाकर पट्टा विलेख जारी किया जावे।
5. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमार्केशन उपरान्त अग्रिम कार्यवाही जोन/प्रार्थी द्वारा की जावे।
6. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नहीं हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावे।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 04 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
31.01.2024	जोन-4	गंगाणा	95/2	1490.37 वर्गमीटर	आवासीय एकल
आवेदक	श्री मोहनलाल पुत्र श्री भैराराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 95/2 रकबा 1490.37 वर्गमीटर में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान संशोधन बाबत।				
निर्णय:-	बैठक में समिति के संज्ञान में आया कि ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 14.12.2023 में अनुमोदित किये गये ले-आउट प्लान राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा सं. 95/1 व 95/4 एवं उक्त प्रकरण पर आपत्ति प्राप्त हुई है। अतः प्राप्त आपत्ति को मद्देनजर रखते हुए समिति द्वारा प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 05 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
31.01.2024	जोन-4	गंगाणा	95/3	221.57 वर्गमीटर	आवासीय एकल
आवेदक	श्री टीकमचन्द पुत्र श्री रामलाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 95/3 रकबा 221.57 वर्गमीटर में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	बैठक में समिति के संज्ञान में आया कि ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 14.12.2023 में अनुमोदित किये गये ले-आउट प्लान राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा सं. 95/1 व 95/4 एवं उक्त प्रकरण पर आपत्ति प्राप्त हुई है। अतः प्राप्त आपत्ति को मद्देनजर रखते हुए समिति द्वारा प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 06 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
31.01.2024	जोन-4	गंगाणा	95/5	222.50 वर्गमीटर	आवासीय एकल
आवेदक	श्री उत्तम कुमार पुत्र श्री रूपचन्द				
विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 95/5 रकबा 222.50 वर्गमीटर में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	बैठक में समिति के संज्ञान में आया कि ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 14.12.2023 में अनुमोदित किये गये ले-आउट प्लान राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा सं. 95/1 व 95/4 एवं उक्त प्रकरण पर आपत्ति प्राप्त हुई है। अतः प्राप्त आपत्ति को मद्देनजर रखते हुए समिति द्वारा प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 07 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
31.01.2024	जोन-4	गंगाणा	95/6	219.97 वर्गमीटर	आवासीय एकल
आवेदक	श्री टीकमचन्द पुत्र श्री रामलाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 95/6 रकबा 219.97 वर्गमीटर में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	बैठक में समिति के संज्ञान में आया कि ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 14.12.2023 में अनुमोदित किये गये ले-आउट प्लान राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा सं. 95/1 व 95/4 एवं उक्त प्रकरण पर आपत्ति प्राप्त हुई है। अतः प्राप्त आपत्ति को मद्देनजर रखते हुए समिति द्वारा प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 08 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
31.01.2024	जोन-4	गंगाणा	95/7	221.12 वर्गमीटर	आवासीय एकल
आवेदक	श्री मोहनलाल पुत्र श्री भैराराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 95/7 रकबा 221.12 वर्गमीटर में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	बैठक में समिति के संज्ञान में आया कि ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 14.12.2023 में अनुमोदित किये गये ले-आउट प्लान राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा सं. 95/1 व 95/4 एवं उक्त प्रकरण पर आपत्ति प्राप्त हुई है। अतः प्राप्त आपत्ति को मद्देनजर रखते हुए समिति द्वारा प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 09 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
31.01.2024	जोन-4	गंगाणा	95/8	220.81 वर्गमीटर	आवासीय एकल
आवेदक	श्री उत्तम कुमार पुत्र श्री रूपचन्द				
विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 95/8 रकबा 220.81 वर्गमीटर में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	बैठक में समिति के संज्ञान में आया कि ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 14.12.2023 में अनुमोदित किये गये ले-आउट प्लान राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा सं. 95/1 व 95/4 एवं उक्त प्रकरण पर आपत्ति प्राप्त हुई है। अतः प्राप्त आपत्ति को मद्देनजर रखते हुए समिति द्वारा प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 10 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
31.01.2024	जोन-4	गंगाणा	95/10	163.71 वर्गमीटर	आवासीय एकल
आवेदक	श्री मोहनलाल पुत्र श्री भैराराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 95/10 रकबा 163.71 वर्गमीटर में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	बैठक में समिति के संज्ञान में आया कि ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 14.12.2023 में अनुमोदित किये गये ले-आउट प्लान राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा सं. 95/1 व 95/4 एवं उक्त प्रकरण पर आपत्ति प्राप्त हुई है। अतः प्राप्त आपत्ति को मद्देनजर रखते हुए समिति द्वारा प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।				


एजेण्डा संख्या 11 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
31.01.2024	जोन-4	गंगाणा	95/9	170.35 वर्गमीटर	आवासीय एकल
आवेदक	श्री टीकमचन्द पुत्र श्री रामलाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 95/9 रकबा 170.35 वर्गमीटर में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	बैठक में समिति के संज्ञान में आया कि ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 14.12.2023 में अनुमोदित किये गये ले-आउट प्लान राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा सं. 95/1 व 95/4 एवं उक्त प्रकरण पर आपत्ति प्राप्त हुई है। अतः प्राप्त आपत्ति को मद्देनजर रखते हुए समिति द्वारा प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।				

एजेण्डा संख्या 12 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
31.01.2024	जोन-4	गंगाणा	95/04	224.54 वर्गमीटर	आवासीय एकल
आवेदक	श्री मोहनलाल पुत्र श्री भैराराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 95/04 रकबा 224.54 वर्गमीटर में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	बैठक में समिति के संज्ञान में आया कि ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 14.12.2023 में अनुमोदित किये गये ले-आउट प्लान राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा सं. 95/1 व 95/4 एवं उक्त प्रकरण पर आपत्ति प्राप्त हुई है। अतः प्राप्त आपत्ति को मद्देनजर रखते हुए समिति द्वारा प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।				

उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


01/02/2024

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव


भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2024/351-55 दिनांक:- 02/02/2024

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
04. उपायुक्त (जोन-4), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।


01/02/2024

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति जोन-4 (ले-आउट प्लान) की 03/2023 की बैठक दिनांक 31.01.2024 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

1. श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। अध्यक्ष
2. डॉ. हरीतिमा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। सदस्य
3. श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। सदस्य
4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। सदस्य
5. श्री श्रवण सिंह राजावत, उपायुक्त (जोन-4) जो.वि.प्रा. जोधपुर। सदस्य
6. श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। सदस्य सचिव


01/02/2024

उप नगर नियोजक (द्वितीय)

एवं सदस्य सचिव